ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.19, No.2, April – June,2024/49

''कृषि महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयासों की भूमिका''

प्रमोद कुमार, शोधछात्र– समाजशास्त्र विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह, शोध निर्देशक–एसो0प्रोफे0–समाजशास्त्र विभाग,
पं0 महादेव शुक्ल कृषक पी0जी0 कालेज, गौर–बस्ती।
https://doi.org/10.61410/had.v19i2.189

शोध सार

भारतीय सामाजिक परिवेश में महिला कृषि श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति सम्पूर्ण देश के आर्थिक पक्ष का महत्वपूर्ण परिदृश्य है। भारत की अर्थ व्यवस्था में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण घटक है। ग्रामीण परिवेश में सामाजिक–आर्थिक चुनौतियां जटिल स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। ग्रामीण महिला कृषि श्रमिकों की प्रस्थिति को उच्च बनाने हेतु बहुआयामी सुधार की भी आवश्यकता है जिसमें आय सुरक्षा में वृद्धि, कार्यशील, परिस्थितियों में सुधार, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार में वृद्धि, लौगिक असमानता को समाप्त करते हुए महिला कृषि श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि, सरकारी प्रयास के माध्यम से नागरिक समाज एवं अन्य हितधारकों, समाज के कमजोर वर्ग की आजीविका, सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए उनके आजीविका के विकल्पों का विविधीकरण किया जाना अति आवश्यक है। जिससे महिला कृषि श्रमिकों की कृषि गतिविधियों पर निर्भरता को कम किया जा सके।

शब्द संकेत – महिला श्रमिक, असंगठित क्षेत्र, कार्यदशाऐं, हितग्राही, स्वामित्व, असंतोष, सहकारिता, संशाधन, भागीदारी।

शोध–पत्र

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कृषि क्षेत्र में श्रम के साथ–साथ अन्य स्थलों पर भी श्रमिक कार्य करना पड़ता है। परिवर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में भी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। उनहें समस्त घरेलू उत्तरदादियों के साथ–साथ अन्य स्थानों पर भी कार्य करना पड़ता है। वास्तविकता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला श्रमिकों की मजदूरी या पारिश्रमिक कम होती है। यह विडम्बना ही है कि महिलाऐं भी पुरुषों के समान मेहनत करने के बाद भी पारिश्रमिक कम प्राप्त करती है।

असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों की कार्यदशाऐं अनिश्चित होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ अधिक विसंगतियाँ पायी जाती है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति दयनीय रही हैं। उनका प्रत्येक स्तर पर शोषण किया जाता रहा है। स्वतत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान ने महिलाओं के प्रति संवेदना दिखाते हुए उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किये गये हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न सरकारों ने महिलाओं के हितों को दृष्टि रखते हुए समय–समय पर अनेक कानून निर्मित किये हैं। शिक्षा के प्रचार–प्रसार को भी महत्व प्रदान करते हुए लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेषित करने का प्रयास किया जाता रहा है। महिलाओं को भी उनके अधिकारों को प्राप्त करने हेतु शिक्षित करने का प्रयास किया गया, देश में महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु महिला आयोग का गठन किया गया जो महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा और शोषण एवं अन्याय हेतु संघर्ष करती हैं तथा उनके कल्याण हेतु शासन–प्रशासन द्वारा महिलाओं की समस्याओं के समाधान का

प्रयास किया जाता है। महिलाओं के जीवन में परिवार से लेकर कार्यस्थल तक भूमिका संघर्ष करते हुए जीवन–निवर्हन करना पड़ता है।[1]

औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हेतु बड़ा योगदान दिया है। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में भी आत्मनिर्भर बनने हेतु एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। महिलाएं कृषि मजदूरी के साथ अन्य क्षेत्र में मजदूरी या कार्य करने हेतु प्रेषित हुई। इसी परिवर्तन का परिणाम है कि आज महिलाऐं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही आदर्श स्थापित कर रही हैं।[2]

स्वतंत्रता के पश्चात् असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के संदर्भ में अनेकों उपबन्धों की व्यवस्था की है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अनुसार – ''असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वह श्रमिक होते हैं जो घरेलू कार्य, स्वरोजगार एवं वेतन पर कार्य करते है तथा उन्हें अधिनियम की अनुसूची–II में सम्मिलित न किया गया हो, जबकि व्यक्ति या स्वरोजगार के स्वामित्व वाले व्यवसाय जो उत्पादन, वस्तुओं की बिक्री या सेवाएं उपलब्ध कराने के कार्यों में संलग्न है तथा जहाँ श्रमिकों की संख्या दस से कम हों, असगठित क्षेत्र कहलाता है।''[3]

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला श्रमिकों की कुल संख्या क्रमशः 12.18 करोड़ तथा 2.8 करोड़ रही है। कुल 14.98 करोड़ महिला श्रमिकों में से 3.59 महिलाऐं कृषि श्रमिक, जबकि 6.15 करोड़ महिलाएं कृषक तथा शेष महिला श्रमिकों में से 85 लाख महिलाएं घरेलू उद्योगों एवं 4.37 करोड़ अन्य श्रमिक के रूप में पंजीकृत रही हैं।[4] राम अहूजा ने अपनी पुस्तक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को प्राप्त सभी प्रकार के अधिकारों यथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों की विस्तृत विवेचना की है। उनका कथन है कि अधिकार चेतना अपने आप स्त्रियों के स्तर को ऊँचा नहीं उठाती और न ही चेतनाहीनता या अज्ञानता उनकी असंतोष की भावना को कम करती है। अधिकार चेतना में कुछ प्रमुख बाधाऐं उन्हें वंचित रखती है। जैसे–अशिक्षा, गृहकार्य में अधिक व्यस्तता, घरेलू बन्धन तथा पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता इत्यादि।[5] आज महिलाऐं पुरुष प्रधान क्षेत्र में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही हैं। उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य है किन्तु व्यावहारिक रूप से उपयोग नहीं कर पाती है।

भारत में कुल महिला श्रमिकों में से 65 प्रतिशत महिलाऐं कृषि कार्यों में संलग्न हैं। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि क्षेत्र में महिलाओं सहित किसानों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। महिला घटक योजना के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को महिला कृषि श्रमिकों के लाभ हेतु लगभग 30 प्रतिशत धनराशि का प्रवाह सुनिश्चित करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित' महिला किसान श्रमिक सशक्तिकरण परियोजना' का प्राथमिक उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को और उत्पादन में वृद्धि हेतु व्यवस्थित निवेश करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि आधारित आजीविका का सृजन एवं उसे बनाये रखना है। परियोजना के अन्तर्गत, परियोजनाओं की परिकल्पना इस प्रकार से की जाती है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं के कौशल आधार में वृद्धि की जाय जिससे वह स्थायी रूप से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकें।

कृषि महिला श्रमिकों के उत्थान हेतु सरकारी प्रयास –

1. केन्द्र द्वारा प्रयोजित विस्तार सुधार योजना राज्यों को विस्तार कार्यक्रम के समर्थन के अन्तर्गत महिला किसानों एवं महिला कृषक मजदूरों हेतु कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर कम से कम 30 प्रतिशत संशाधनों का उपयोग सुनिश्चित करके कृषि में लैंगिक चिन्ताओं को मुख्य धारा में

लाया जा रहा है। कृषक महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित एवं प्रोत्साहित करने हेतु योजना के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत विकास खण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर कृषक सलाह कर समिति में उनका प्रतिनिधित्व प्रदान यिका गया है।

2. बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन योजना के अन्तर्गत, बीज ग्राम कार्यक्रम और बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था योजना के घटकों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रान किया जाता है। जिसमें महिला किसानों को समान रूप से लाभ प्राप्त होता है।
3. भारत के सभी राज्यों में लागू राष्ट्रीय खाद्य–सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत विधि आवंटन का 30प्रतिशत महिला कृषकों के लिए निर्धारित किया जा रहा है। एन.एफ.एस.एम. के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसानों सहित कृषक फसल प्रणाली पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है।
4. राष्ट्रीय तिलहन और पाम आयल मिशन के अन्तर्गत बजट आवंटन का 30प्रतिशत महिला लाभार्थियों/किसानों के लिए निर्धारित किया जा रहा है। सम्बन्धित क्रियान्वयन एजेन्सियों को इन घटकों के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।
5. कृषि यन्त्रीकरण पर उप–मिशन योजना के अन्तर्गत, आई.सी.ए.आर. द्वारा विकसित कृषि में महिलाओं के लिए 31 कठिन परिश्रम कम करने वाली तकनीक को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और वित्तीय सहायता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। महिला लाभार्थियों को विभिन्न कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद हेतु 10प्रतिशत अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
6. राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि इनपुट तथा तकनीकी एवं विस्तार सहायता प्रदान की जाती है।
7. कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में 645 कृषि विज्ञान केन्द्रों का जाल स्थापित किया है। जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी/उत्पादों का मूल्यांकन और प्रदर्शन करना तथा किसानों को उनके ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण सहित कई विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार करना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कृषि और सम्बन्धित क्षेत्रों से सम्बद्ध उन्नत प्रौद्योगिकी पर आयोजित किये जाते है और इनमें किसानों को फसल उत्पादन में वृद्धि और कृष आय में सुधार के रूप में लाभ प्राप्त हुआ है।
8. केन्द्रीय कृषि महिला संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अनुसंधान करने में अग्रणी रहा है। इसने ग्रामीण महिलाओं को सम्मिलित करते हुए विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित विषय क्षेत्रों में भागीदारी कार्यवाही अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित किा जिससे महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता का परीक्षण किया जा सके और उन्हें परिष्कृत करने का सुझाव दिया जा सके। संस्थान अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को अपने कार्यक्रमों में कृषि महिलाओं के दृष्टिकोण को सम्मिलित करने के लिए उत्प्रेरित और सुविधाजनक बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है। महिला कृषकों को मुख्य धारा में लाने और सशक्त बनाने हेतु एकीकृत कृषि प्रणाली आई.पी.एम. कठिन परिश्रम, पशुधन और मत्स्य पालन, विस्तार पद्धति, लिंग सूचकांग इत्यादिद के क्षेत्र में महिला कृषकों से सम्बन्धित परियोजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं।[6]

शोध प्रारूप

प्रस्तुत अनुसंधान अध्ययन जनपद महराजगंज के फरेन्दा विकास खण्ड के कुल 05 गांवों के कुल 100–100 कृषि महिला श्रमिकों का चयन दैव निदर्शन विधि के माध्यम से चयन किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों को भी प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची एवं द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत सरकारी एवं गैर–सरकारी रिकार्ड, रिपोर्ट, समाचार–पत्र, पत्रिकाऐं इत्यादि का भी प्रयोग यथा–सम्भव किया गया है।

क्रम सं0	गाँव का नाम	कुल कृषि श्रमिकों की सं0	कुल कृषि पुरुषों की सं0	कुल कृषि महिला श्रमिकों की सं0	चयनित कृषि महिला श्रमिकों की सं0
1-	लेजार महदेवा	2206	1392	814	100
2-	परासखाड़	676	489	187	100
3-	पइसिया खुर्द	463	301	162	100
4-	पिपरा खल्ली	749	545	204	100
5-	हरपुर	776	533	243	100
	योग	**4870**	**3260**	**1610**	**500**

स्रोत – एम0जी0 नरेगा महाराजगंज उ0प्र0 मिनिस्ट्री आफ रूरल डवलपमेन्ट गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया

अध्ययन का महत्व –

वर्तमान समय में कृषि महिला श्रमिकों की भूमिका कृषि कार्य में अग्रणी है। किन्तु सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक शोषण होने के कारण महिला श्रमिकों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। कृषि महिला श्रमिों की कार्यस्थल पर कार्य के घण्टों मजदूरी दर का निम्नतम भुगतान उचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव उनके बच्चों की उचित देख–रेख, स्वास्थ्य सुरक्षा इत्यादि, शिक्षा का अभाव इत्यादि के कारण आज भी कृषि महिला श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति काफी खराब है।

अतः शोधार्थी द्वारा अपने अध्ययन क्षेत्र में कृषि महिला श्रमिकों का एक समाजशास्त्री अध्ययन के पश्चात् उस महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। शोधार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कृषि महिला श्रमिकों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता न होने के कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति अधिक प्रभावित हुई है। अर्थात् कृषि महिला श्रमिकों के समावेशी विकास हेतु महिलाओं का सशक्तिकरण आश्यक है, जिसके लिए उनकी भागीदारी, लैगिक पक्ष, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण सम्बन्धी जानकारी होना अति आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि महिला श्रमिकों का वास्तविक और दृश्यमान किसान के रूप में उनकी पहचान सुनिश्चित करते हुए सरकारों को उनकी सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति को बेहतर बनाये जाने हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करते हुए उसका उचित क्रियान्वयन कराये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

यह वास्तविक है कि ग्रामीण परिवेश की कृषक महिला श्रमिक विकास के दौर का परिणाम भुगत रही है। भूमिहीन होने के कारण उनकी आजीविका का आधार भी धीरे–धीरे समाप्त होने लगा है। अतः सरकार को इनकी प्रस्थिति को उच्च बनाने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पोषित किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची –

1- Goode, William, J. : "Therory of Role Strain," American Sociological Review, 25 : P-483-485
2- Bhagati J. & Srinivas, T.N. ; "Indians Economic Reforms" Ministry of Finance, Government of India Press, New Delhi-1993.
3- भारत 2016 ; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिल्ली, पृ0–630.631ण
4- Census 2011. Co.in.
5- अहूजा, राम; भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन जयपुर, पृ0–101
6- www.pib.gov.in